N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0109 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/06/2024 19:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 03/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 03/06/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:40 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/06/2024 **Time (समय):** 18:15 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/06/2024 19:28:33 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABL

      (b)**Address(पता):** ATAL SEWA KENDRA GRAM LAHCHORA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DINESH CHAND

(b) Father's Name (पिता का नाम): SHIV SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1983 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NAGLA CHITRIYA, BAYANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NAGLA CHITRIYA, BAYANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BAAL SHWROOP DHAKAR		पिता:KANEHYA LAL DHAKAR	1. KUMHER GET,WEIR,WEIR,BHARATPUR, RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री दिनेश चन्द पुत्र शिवसिंह जाति जाटव उम्र 41 साल निवासी नगला छीतरिया पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर ने जरिये मोबाईल वाटसअप कॉल मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरी माताजी के नाम से एक आराजी कृषि भूमि ग्राम अगावली में आराजी संख्या-416,417 में से 14.2 एयर भूमि खरीद की है जिसका वयनामा कराने की एवज में कार्यालय उप तहसील झील का बाडा में पदस्थापित नायब तहसीलदार बालस्वरूप धाकड 1 प्रतिशत के हिसाब से 3000 रूपये रिश्वत की माँग करेगा और आज दिनांक 03.06.2024 को बाद दोपहर तुरंत ही रिष्वत राशि लेगा। मैं नायब तहसीलदार को बालस्वरूप को रिश्वत नहीं देना चाहता हॅू। रंगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू। मैं वयनामा तैयार कराने में व्यस्त होने के कारण एसीबी कार्यालय भरतपुर आने में असमर्थ हॅू। उक्त मोबाईल की सूचना पर परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद समय- 10.00 ए.एम. पर पुर्व से किसी अन्य गोपनीय कार्यवाही के लिए पावन्दशुदा दो स्वतंत्र गवाहान जरिये मोबाईल तलब करने के लिए दिलीप कुमार कानि.-610 को निर्देश दिया गया। इसके बाद समय- 10.30 ए.एम.पर श्री परसराम कानि. 203 को वाईस रिकार्डर में खाली मैमोरी कार्ड डाल कर तैयार करने की हिदायत दी गई। इसके बाद समय 11.45 ए.एम. पर पुर्व से पावन्दशुदा दो स्वतंत्र गवाहान जरिये मोबाईल तलब करने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये श्री वी पी सिंह वरिष्ठ सहायक व श्री कुनाल नाथावत सहायक कर्मचारी कार्यालय कर भवन भरतपुर से कार्यालय एसीबी एस यू भरतपुर उपस्थित आयें जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 11.55 ए.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने श्री दिलीप कुमार कानि. 610 को आधा घंटे बाद सरकारी वाहन से स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप टीम व फिनोपथलीन पाउडर लेकर रवाना होकर बयाना पहॅुचने की हिदायत दी गई। मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय वाईस रिकार्डर मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर के श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक व श्री परसराम कानि. को हमराह लेकर कार्यालय एसीबी एस यू भरतपुर से अपने निजी वाहन से रवाना बयाना हुआ। इसके बाद समय 02.30 पी.एम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के बयाना पहुचा। परिवादी श्री दिनेश चन्द से जरिये मोबाईल सम्पर्क करने पर बताया कि मै आपको झील का बाडा मिल जाऊगा। जिस पर बयाना से रवाना होकर झील का बाडा उपस्थित आया। इसके बाद समय 03.20 पी.एम पर परिवादी श्री दिनेश चन्द उपस्थित आया जिसने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र अति. पुलिय अधीक्षक एस यू भरतपुर के नाम से संबोधत कर इस आशय का पेश किया कि मुझ प्रार्थी की माताजी श्रीमति किरन के नाम से एक कृषि भूमि वाके ग्राम अगावली में आराजी संख्या-416,417 में से 14.2 एयर भूमि खरीद की है जिसका वयनामा कराने के लिए दिनांक 03.06.2024 को उप तहसील झील का बाडा में होना है। उक्त कार्यालय में पदस्थापित नायब तहसीलदार 1प्रतिशत के हिसाब से प्रत्येक वयनामा पर रिश्वत राशि की माँग करते है। मेरी रजिस्ट्री पर 1 प्रतिशत के हिसाब से तीन से साढे तीन हजार रूपये की माँग करेगें। मैं नायब तहसीलदार को रजिस्ट्री के बदले में रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हॅू नायब तहसीलदार से मेरा कोई लेन देन बाकी नहीं है। नहीं किसी प्रकार की रंजिश है नायब तहसीलदार को रिश्वत राशि लेते हुए रंगें हाथों पकडवाना चाहता हॅू कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 03.06.2024 एसडी प्रार्थी दिनेश चन्द पुत्र शिवसिंह निवासी नगला छीतरिया तह. बयाना (भरतपुर) मोबाईल परिवादी से उक्त रिपोर्ट के आधार पर मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि मेरी माता जी केवल हस्ताक्षर करना जानती है, लिखना पडना नहीं जानती हैं। मैं ई-मित्र संचालक हॅू जोकि मेरी पत्नि के नाम से है जिस कारण उक्त रजिस्ट्री की समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा ही करवाई जा रही है। नायब तहसीलदार रजिस्ट्री की प्रक्रिया के दौरान ही रिश्वत राशि की मांग करेगा और आज ही रिश्वत राशि लेगा। वह केवल एक ही बार रिश्वत की मांग करेगा। मेरी जानकारी के अनुसार वह बयनामा मूल्य का करीबन 01 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि मांग करता है। लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त के मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय कार्यवाही अनुसार रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जावेगा। इसके बाद समय 03.35 पी.एम पर विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी दिनेश चन्द पुत्र श्री शिवसिंह जाति जाटव उम्र 41 साल निवासी नगला छितरिया पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर वॉईस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि0 203 को सुपुर्द किया जाकर हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपी के पास जाने पूर्व वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें एवं बाद सत्यापन वार्ता वॉईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित लेकर वापस आवे।

बाद हिदायत परिवादी व श्री परसराम कानि0 203 को परिवादी की निजी कार से आरोपी के पास ग्राम लहचौरा कलां रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी वॉईस रिकॉर्डर्र पृथक से मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक मय अपनी प्राईवेट गाडी से मौके रवाना होकर अजनौली मोड, झील का बाडा -मिलकपुर रोड पर पहुंचा एवं श्री परसराम कानि0 को जरिये मोबाईल हिदायत दी गई कि आप बाद सत्यापन मय परिवादी मय वॉईस रिकॉर्डर्र के अजनौली मोड, झील का बाडा -मिलकपुर रोड पर आये एवं दिलीप सिंह कानि0 को जरिये मोबाईल निर्देशित किया गया कि आप स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी को लेकर अजनौली मोड, झील का बाडा -मिलकपुर रोड पर उपस्थित आवे। इसके बाद समय 04.30 पी.एम पर श्री दिलीप सिंह कानि0 610, विनोद सिंह कानि0 114, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 221, श्री गोकुलेश कानि0 454, रितेश कुमार कानि0 64 मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय फिनोफ्थ्लीन पाउडर मय सरकारी टवेरा गाडी मय चालक धर्मवीर के अजनौली मोड, झील का बाडा -मिलकपुर रोड पर उपस्थित आया। गाडी में साथ आये गवाहान को मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर गवाहान से उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः श्री वी पी सिंह पुत्र श्री मुरारी लाल जाति माली उम्र 33 साल निवासी जहानपुर पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त आयुक्त वृत अ वाणिज्य कर विभाग भरतपुर एवं कुनाल नाथावत पुत्र श्री बलवीर सिंह नाथावत जाति राजपूत उम्र 19 साल निवासी बुद्ध की हाट पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल सहायक कर्मचारी संयुक्त आयुक्त वृत अ वाणिज्य कर विभाग भरतपुर होना बताया। जिनको अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराकर परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट को पढने को दिया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह बनने की सहमति चाहीं गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की व प्रमाण स्वरूप दोनों लिखित रिपोर्ट पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 04.45 पी.एम पर श्री परसराम कानि0 मय परिवादी श्री दिनेश चन्द मय अपनी निजी कार से निर्देशानुसार अजनौली मोड, झील का बाडा -मिलकपुर रोड पर उपस्थित आये श्री परसराम कानि0 से वॉईस रिकॉर्डर्र को जरिये फर्द प्राप्त किया गया। परिवादी ने बताया कि मै और श्री परसराम कानि0 आपके पास से रवाना होकर ग्राम लहचौरा कलां में स्थित अटल सेवा केन्द्र पर पहुंचे जहां श्री परसराम कानि0 ने वॉईस रि◌ेकॉर्डर्र को चालू कर अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द कर दिया मै वॉई रिकॉर्डर्र को लेकर अटल सेवा केन्द्र के अन्दर चला गया वहां में नायब तहसीलदार जी को तलाश किया तो वह वहां नहीं मिले अटल सेवा केन्द्र पर उपस्थित एक कर्मचारी से मैने नायब तहसीलदार जी के बारे में जानकारी की तो कर्मचारी ने बताया कि नायब तहसीलदार जी यहां नही है वह झील का बाडा तिराहे पर है चलो नायब तहसीलदार जी को ले आते हैं इस पर मै कर्मचारी के साथ अपनी गाडी को लेकर नायब तहसीलदार जी को लेने झील का बाडा तिराहे पर पहुंचा जहां से नायब तहसीलदार जी को गाडी में बिठा कर अटल सेवा केन्द्र लहचौरा कलां पर ले आया जहां पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई प्रक्रिया के बाद रजिस्ट्री पर गवाहान व क्रेता और विक्रेता के हस्ताक्षर के बाद नायब तहसीलदार मुझे ईशारा करके साईड में ले गया और मेरे से रजिस्ट्री को पूरा करने की एवज में 3500 रूपये रिश्वत की मांग की है और रिश्वत राशि लेकर अभी बुलाया है। कर्मचारी के साथ होने के कारण में वॉईस रिकॉर्डर्र को बन्द नहीं कर पाया इस कारण रिकॉर्डर्र में सारी वार्ता रिकॉर्ड हो गई है परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा जो रिश्वत राशि की मांग की गई है वह वार्ता के अन्त के कुछ मिनिट में रिकॉर्ड हुई है। नायब तहसीलदार के पास से रवाना होकर मैं श्री परसराम कानि0 के पास पहुंचा जिन्होने मेरे से वॉईस रिकॉर्डर्र प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया मैने सारी वार्ता परसराम जी को बता दी बाद रवाना होकर आपके निर्देशानुसार उपस्थित आ गये। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री परसराम कानि0 से पूछा तो श्री परसराम कानि0 द्वारा परिवादी की बात की ताईद की जिसपर मन अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की अंतिम कुछ मिनिटों व वार्ता के मुख्य अंशों को सुना गया तो रिश्वत मांग वार्ता होना पाई गई। जिसकी पृथक से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार कर शामिल पत्रावली की जावेगी। इस पर पूर्व से मौजूद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय कराया गया। इसके बाद समय 04.50 पी एम पर उपरोक्त मौतविरान के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री दिनेश चन्द पुत्र शिवसिंह जाति जाटव उम्र 41 साल निवासी नगला छीतरिया पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 7 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 3500/- रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः- एक नोट पांच सौ रूपये का 9 EE 847247, एक नोट पांच सौ रूपये का 2 VL 543219, एक नोट पांच सौ रूपये का 9 WH 340805,एक नोट पांच सौ रूपये का 3 FV 611450 ,एक नोट पांच सौ रूपये का 8 FG 265573, एक नोट पांच सौ रूपये का 1 FU 366511, एक नोट पांच सौ रूपये का 5 TN 590276 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री रितेश कुमार कानि0 64 से गाडी के डेस्कबोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री रितेश कुमार कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री दिनेश कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री वी पी सिंह वरिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 3500/-रूपये के नोटों को श्री रितेश कुमार कानि0 से परिवादी की पहनी

हुई पेन्ट की सामने की बांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री वी पी सिंह वरिष्ठ सहायक से गाडी में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रितेश कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री रितेश कुमार कानि0 के पास रखवाया गया। श्री रितेश कुमार कानि0 के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री रितेष कुमार कानि0 को बाद हिदायत फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को लेकर कार्यालय के लिए रवाना किया गया। फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 05.10 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उपनिरीक्षक मय परसराम का िन.नं. 203, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री दिनेश चन्द के परिवादी की निजी कार से आगे आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय श्री दिलीप कुमार कानि. नं.610, श्री विनोद सिंह कानि0 114 मय ,देवेन्द्र कानि.नं.-221, गोकुलेश कानि0 के अपनी निजी गाडी मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के उप तहसील कार्यालय झील के बाडा, अटल सेवा केन्द्र लहचौरा कलां के लिए वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ और चालक धर्मवीर को हिदायत दी गई ट्रेप टीम से आवश्यक दूरी बनाकर पीछे पीछे आवे। इसके बाद समय 05.12 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा उप तहसील कार्यालय झील के बाडा के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने तहसील उप तहसील कार्यालय झील के बाडा के लिए पैदल रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री परसराम कानि0 , रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक व दिलीप सिंह को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के उप तहसील कार्यालय झील के बाडा के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। इसके बाद समय 05.40 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री दिनेश चन्द के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाह एवं जाप्ता के अटल सेवा केन्द्र लहचौरा कलां के सामने से वाहनों के पास से रवाना होकर अटल सेवा केन्द्र लहचौरा कलां के मुख्य गेट के पास पहुंचा जहां परिवादी श्री दिनेश चन्द खडा मिला जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस रिकॉडर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो परिवादी ने पास में खडे पेन्ट शर्ट पहने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही नायब तहसीलदार बाल स्वरूप धाकड हैं जिन्होने अभी अभी मेरे से 3500 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने बांये हाथ से लेकर अपने पहने हुए पेन्ट के साईड के बांये जेब में रख लिये हैं रिश्वत राशि अभी भी नायब तहसीलदार जी के जेब में रखें हुए हैं। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी के अटल सेवा केन्द्र के परिसर में पेन्ट शर्ट पहने हुए व्यक्ति के पास पहुंचा। उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर पेन्ट शर्ट पहने हुए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बाल स्वरूप धाकड पुत्र श्री कन्हैया लाल धाकड जाति धाकड उम्र 53 साल निवासी कुम्हेर गेट वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर हाल निवासी पंचायत समिति के पास बयाना पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर हाल गिरदावर तहसील बयाना हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार उप तहसील झील का बाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर होना बताया जिससे परिवादी श्री दिनेश चन्द से ली गई रिश्वत राशि 3500 रूपये के संबंध में पूछा तो आरोपी बाल स्वरूप धाकड ने बताया कि मै उप तहसील झील का बाडा तहसील बयाना में फरवरी 2024 से कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित हूं। श्री दिनेश चन्द जी आज मेरे से मिलने आये और मेरे से कहा कि मेरी माता जी के नाम बयनामा की रजिस्ट्री कर दो मैने सहज स्वभाव में रजिस्ट्री कर दी मैने दिनेष चन्द जी से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की और ना ही कोई रिश्वत नहीं प्राप्त की है जो रूपये मेरे पास मिले हैं उनको दिनेश चन्द ने जबरदस्ती मेरी पेन्ट की बांयी जेब में रख दिया। इस

पर पास में खडे परिवादी दिनेश चन्द ने आरोपी की बातों का खण्डन करते हुए कहा कि नायब तहसीलदार जी झूठ बोल रहे हैं। इन्होने मेरे से मेरी माता जी श्रीमति किरन के नाम बयनामा खसरा नम्बर 416, 417 खाता संख्या 198 की ग्राम अगावली में स्थित जमीन की रजिस्ट्री करने की एवज में मेरे से एक प्रतिशत के हिसाब से 3500 रूपये रिश्वत की मांग की जिसका आप द्वारा गोपनीय सत्यापन कराया गया तथा नायब तहसीलदार जी ने मेरे से अभी अभी 3500 रूपये रिश्वत राशि अपने बांये हाथ से लेकर अपने पहने हुए पेन्ट की बांयी तरफ की जेब में रख ली रिश्वत राशि 3500 अभी भी नायब तहसीलदार जी के जेब में रखी हुई है। नायब तहसीलदार अपने हाथों को आपस में रगडने लगा जिसपर मेरे निर्देशानुसार आरोपी का बांया हाथ कलाईयों के उपर से श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक व दायां हाथ कलाईयों के उपर से श्री परसराम कानि0 द्वारा पकडवाये गये। आरोपी को हाथ पकडी हुई अवस्था में अटल सेवा केन्द्र में बने कम्प्यूटर कक्ष में ले जाया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री बाल स्वरूप धाकड गिरदावर के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। पुनः ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर अटल सेवा केन्द्र लहचौरा कलां में रखे हुए पानी के मटके से प्लास्टिक के गिलास से साफ करवाकर एवं साफ पानी मंगवाकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री कुनाल सहायक कर्मचारी से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में श्री बाल स्वरूप धाकड गिरदावर के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया तत्पश्चात गवाह श्री वी पी सिंह वरिष्ठ सहायक से आरोपी बाल स्वरूप धाकड गिरदावर की पहनी हुई पेन्ट की साईड की बांयी तरफ की जेब तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की जेब में 500-500 सौ रूपये की नोटों की मुडी हुई गड्डी दिखाई दी जिनको बाहर निकलवा कर गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा में 500-500 सौ रूपये के 07 नोट कुल 3500/-रूपये मिले जिनको पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है- एक नोट पांच सौ रूपये का 9 EE 847247, एक नोट पांच सौ रूपये का 2 VL 543219, एक नोट पांच सौ रूपये का 9 WH 340805,एक नोट पांच सौ रूपये का 3 FV 611450 , एक नोट पांच सौ रूपये का 8 FG 265573, एक नोट पांच सौ रूपये का 1 FU 366511, एक नोट पांच सौ रूपये का 5 TN 590276 उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसे साफ कराकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल कुनाल नाथावत सहायक कर्मचारी से तैयार करा कर आरोपी के पहने हुए पेन्ट को उतरवा कर पेन्ट की बांयी तरफ की साईड की जेब को उलटवा कर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषीयों पर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात पेन्ट का अवलोकन किया गया तो बरंग सलेटी, जिसकी कमर बैल्ट पर CRIMSOUNE CLUB का स्टीकर लगा हुआ है। पेन्ट के जेब को उल्टा कर सुखवाया जाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पीपी -1' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी बाल स्वरूप धाकड गिरदावर हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार से परिवादी से संबंधित कार्य के कागजात के संबंध में पूछा तो आरोपी ने कम्प्यूटर कक्ष में रखी आलमारी से परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेजात पेश किये जिन्हे बाद अवलोकन पृथक से दस्तावेजात की छायाप्रति कराकर, प्रमाणित छायाप्रति को जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। आरोपी श्री बाल स्वरूप धाकड गिरदावर हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार उप तहसील झील का बाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर का उक्त कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। कार्यवाही हाजा में तहसीलदार/उप पंजीयक, तहसील बयाना की आवश्यकता होने पर उन्हे जरिये टेलीफोन मौके पर उपस्थित होने हेतु तलब किया गया। आरोपी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 08.00 पीएम पर दोनो गवाहों के समक्ष के समक्ष आरोपी बाल स्वरूप

धाकड पुत्र श्री कन्हैया लाल धाकड जाति धाकड उम्र 53 साल निवासी कुम्हेर गेट वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर हाल निवासी पंचायत समिति के पास बयाना पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर हाल गिरदावर तहसील बयाना हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार उप तहसील झील का बाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री दिनेश चन्द की माताजी के नाम बयनामा की रजिस्ट्री करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 03.06.2024 को 3500/- रूपये रिश्वत की मांग करना व उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 03.06.2024 को रिश्वत लेते पकडे जाने पर आरोपी बाल स्वरूप धाकड का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संषोधित वर्ष 2018 का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री वी पी सिंह से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल रीयल मी कम्पनी जिसमें जियो की सिम जिसके नं0 क्रमषः एवं डली हुई है। व जिसके पास में 915 रूपये मिले के बारे में पूछा गया तो अपने दैनिक खर्चे के होना बताये। उक्त राशि 915 रूपय के संबंध में जबाव संतोषप्रद पाया जाने पर आरोपी के परिचय श्री रमेश चन्द धाकड को उक्त राषि व मोबाईल रीयल मी कम्पनी को लौटाया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 08.30 पीएम पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपी श्री बाल स्वरूप धाकड गिरदावर तहसील बयाना हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार से परिवादी श्री दिनेश चन्द के कार्य से संबंधित कागजात के संबंध में पूछा आरोपी श्री बाल स्वरूप धाकड ने बताया कि परिवादी श्री दिनेश चन्द के कार्य से संबंधित दस्तावेज मूल वयनामा कार्यालय उप तहसील लहचौरा कलां के कम्प्यूटर कक्ष की आलमारी में है। दौराने कार्यवाही तहसीलदार/ उप पंजीयन तहसील बयाना को जरिये मोबाईल तलब शुदा तहसीलदार श्री विनोद मीणा पुत्र बलवीर सिंह मीणा उम्र-33 जाति मीणा निवासी मासलपुर खेडिया पुलिस थाना मासलपुर जिला करौली हाल तहसीलदार तहसील बयाना जिला भरतपुर मौके पर उपस्थित आये तहसीलदार बयाना के समक्ष आरोपी से परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज मूल वयनामा पेश करने की कहा गया तो आरोपी ने कम्प्यूटर कक्ष की आलमारी से निकाल कर पेश किये जिनका अवलोकन किया गया तो दस्तावेजात 01 लगायात 13 हैं बयनामा क्रेता परिवादी की माता किरन का है पेज संख्या 01 रजिस्ट्री की ऑन लाईन रसीद है एंव पेज संख्या 02 से 08 तक पंजीयक कार्यालय झील का बाडा के ऑन लाईन पोर्टल से निकले दस्तावेज हैं तथा पेज संख्या 09 से 13 तक बयनामा है जिनके पीछे की तरफ पंजीयन पोर्टल का विवरण एवं क्रेता व विक्रेता के नाम पता व हस्ताक्षर है तथा पीछे की तरफ की उप पंजीयन झील का बाडा की सील छपी हुई है जिसपर हस्ताक्षर नहीं है। उक्त दस्तावेजात का कार्यवाही हाजा में बजह सबूत आवश्यकता होने पर उक्त दस्तावेजात की छायाप्रति कराई जाकर छायाप्रति को मौके पर मौजूद तहसीलदार/ उप पंजीयन तहसील बयाना से प्रमाणित करवाया जाकर पत्रावली के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर पत्रावली को कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 09.30 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में गाडियों की लाईट व लाईट की रोशनी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 09.50 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक गिरफतार शुदा आरोपी श्री बाल स्वरूप धाकड गिरदावर तहसील बयाना हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार मय स्वतंत्र गवाहान मय टेप टीम मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पेन्ट पैकिट ,डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक , मय सरकारी गाडी चालक बाद कार्यवाही रवाना एसीबी चौकी भरतपुर होता हॅू। इसके बाद समय 10.50 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक गिरफतार शुदा आरोपी श्री बाल स्वरूप धाकड गिरदावर तहसील बयाना हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार मय स्वतंत्र गवाहान मय टेप टीम मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पेन्ट पैकिट ,डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी, मय सरकारी गाडी चालक के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा पुलिस थाना मथुरा गेट पहॅुचा जहॉ आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से बन्द हवालात कराकर बाद रवाना हो एसीबी एस यू भरतपुर पहुचा जहॉ जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पेन्ट पैकिट व वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमारी मे रखवाने हेतु श्री रीतराम सिंह सहायकउप निरीक्षक को सुपुर्द किया गया। अग्रिम कार्यवाही दिनांक 04.06.2024 को सुबह प्रारम्भ की जावेगी। परिवादी को कार्यालय रूकने की हिदायत दी गई एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुबह 07.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 04.06.2024 समय 09.30 ए..एम.पर पुर्व से पाबन्दशुदा दोंनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आयें जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 09.40 ए..एम पर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय एस डी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 03.06.2024 के डिजीटल वाईस रिकार्डर मय एस डी कार्ड जो सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया था जिसको कार्यालय की आलमारी से निकलवाया जाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय एस डी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेन देन वार्ता एवं रिश्वत सत्यापन वार्ता की ऑडियो फाईलों का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के

हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 09.50 ए.एम पर परिवादी दिनेश चन्द व आरोपी श्री बाल स्वरूप धाकड गिरदावर तहसील बयाना हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार झील का बाडा के मध्य हुई सत्यापन वार्ता व लेनदेन वार्ता दिनांक 03.04.2024 जो डिजीटल वॉईस रिकॉडर्र के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं एक मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये तथा वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " M" अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व एक मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 10.30 ए.एम.पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक ,श्री उमाशंकर कानि.,श्री गम्भीर सिंह कानि.,मय सरकारी गाडी मय धर्मवीर चालक के आरोपी बाल स्वरूप धाकड गिरदावर तहसील बयाना हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार उप तहसील झील का बाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर को मथुरा गेट पुलिस थाने से लेकर स्वास्थ्य परीक्षण करा कार्यालय लाने हेतु रवाना किया गया। इसके बाद समय 11.40 ए.एम.पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक ,श्री उमाशंकर कानि. नं.- ,श्री गम्भीर सिंह कानि. नं.-,मय सरकारी गाडी मय धर्मवीर चालक नं.-339 के को आरोपी बाल स्वरूप धाकड गिरदावर तहसील बयाना हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार उप तहसील झील का बाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर को मथुरा गेट पुलिस थाने से लेकर स्वास्थ्य परीक्षण करा उपस्थित कार्यालय आया। इसके बाद समय 02.50 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 03.06.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 03.10 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 15 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री वी पी सिंह वरिष्ठ सहायक को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी बाल स्वरूप धाकड पुत्र श्री कन्हैया लाल धाकड जाति धाकड उम्र 53 साल निवासी कुम्हेर गेट वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर हाल निवासी पंचायत समिति के पास बयाना पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर हाल गिरदावर तहसील बयाना हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार उप तहसील झील का बाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री दिनेश चन्द की माताजी के नाम बयनामा की रजिस्ट्री करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 03.06.2024 को 3500/- रूपये रिश्वत की मांग करना व उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 03.06.2024 को रिश्वत लेते पकडे जाने पर आरोपी बाल स्वरूप धाकड का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी बाल स्वरूप धाकड पुत्र श्री कन्हैया लाल धाकड जाति धाकड उम्र 53 साल निवासी कुम्हेर गेट वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर हाल निवासी पंचायत समिति के पास बयाना पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर हाल गिरदावर तहसील बयाना हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार उप तहसील झील का बाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस यू भरतपुर। ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस0यू0,भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बाल स्वरूप धाकड़ पुत्र कन्हैया लाल धाकड़ जिला भरतपुर हाल गिरदावर तहसील बयाना हाल कार्य व्यवस्था नायब तहसीलदार उप तहसील झील का बाड़ा तहसील बयाना जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 75 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 553-56 दिनांक 05.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2 जिला कलक्टर भरतपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस0यू0भरतपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/06/2024 19:

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

ttachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

'hysical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
ंदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)